

10-1-19 फावली पेश इंडोवकील प्रार्थी उपर है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया तो
लगभग 1 वर्ष 10 माह में प्रार्थी द्वारा लल्लु
लल्लुवाणा नोटिस आज तक भी पेश नहीं
किये हैं। इस अवधि में प्रार्थी को कई अवसर
दिये गये, फिर आदेश अवसर भी दिये गये
परन्तु आज तक भी लल्लुवाणा नोटिस पेश
नहीं करते हैं प्रार्थीगणों का T.I. माह फर
09.1.19 में रजिस्ट्रार किया गया। पत्रावली
किसल शुभर टाकर दस नम्बर से कम है।
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

—/—
उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Web Copy - Not Official